देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ...

जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

JAWAB DO SARKAR ™

www.jawabdosarkar.com

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय,भारत सरकार द्वारा जारी
सूचना प्रोद्योगिकी(मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता)नियम,2021 के नियम 18 के तहत संचालित पोर्टल

रेफरेंस संख्या –2023/palm/03 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 20 मई 2023

पाँच साल पहले,स्कूल के 200 मीटर दायरे मे चल रही जिस शराब की दुकान की लोकेशन को किया गया था निरस्त!
अब शराब ठेकेदार को फायदा पहुचाने के लिए उसी जगह पर पुन: कर दी लोकेशन स्वीकृत!!

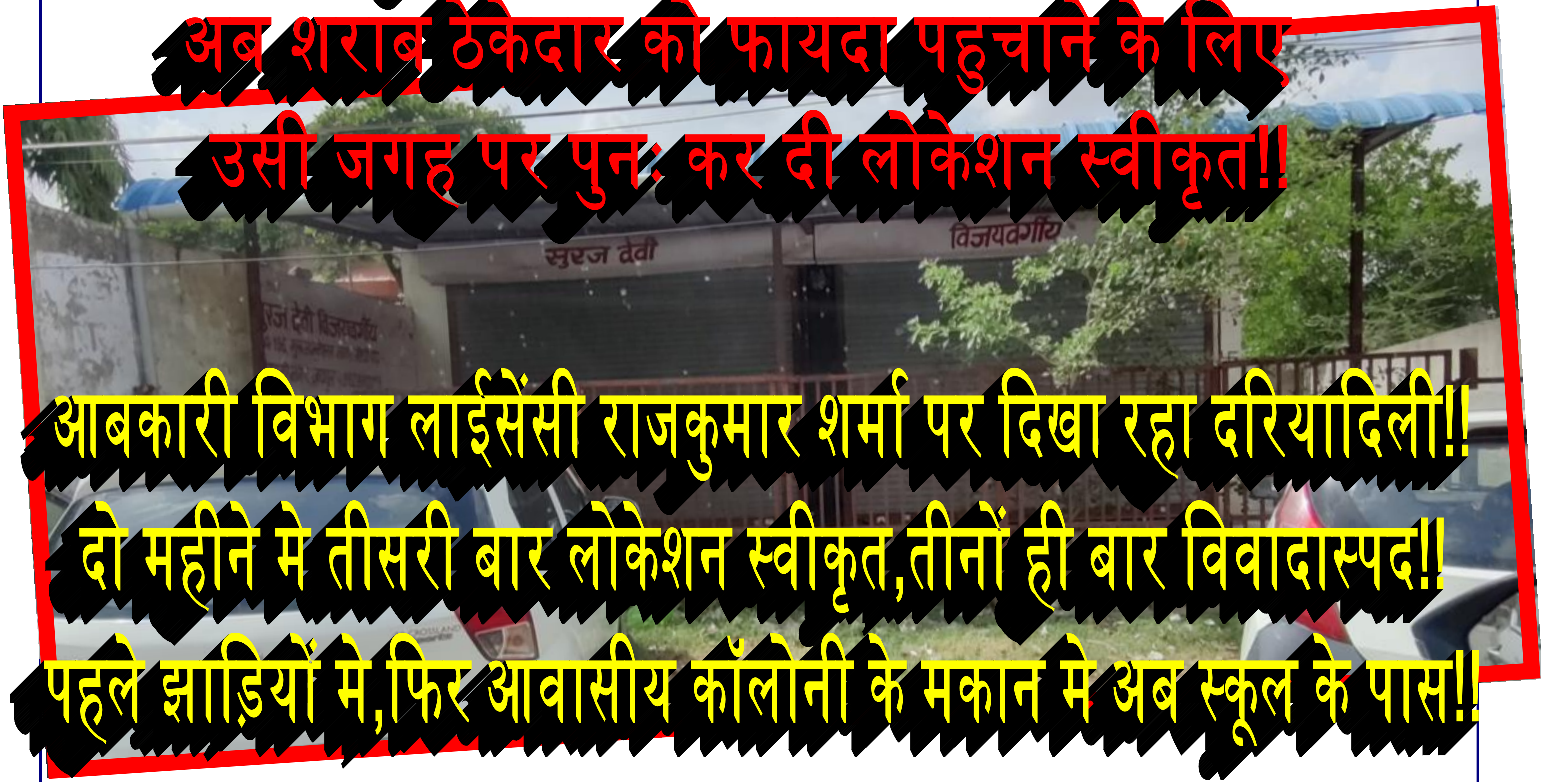

आबकारी विभाग लाईसेंसी राजकुमार शर्मा पर दिखा रहा दरियादिली!!
दो महीने मे तीसरी बार लोकेशन स्वीकृत,तीनों ही बार विवादास्पद!!
पहले झाड़ियों मे,फिर आवासीय कॉलोनी के मकान मे अब स्कूल के पास!!

आबकारी विभाग,जयपुर शहर द्वारा दुकान संख्या A-196 गुरुजमबेश्वर नगर पर लाईसेंसी राजकुमार शर्मा को अस्थायी रूप से स्वीकृत की गई कम्पोजिट शराब की दुकान का मामला!!

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

पाँच साल पहले,स्कूल के 200 मीटर दायरे मे चल रही जिस शराब की दुकान की लोकेशन को किया गया था निरस्त!अब शराब ठेकेदार को फायदा पहुचाने के लिए उसी जगह पर पुनः कर दी लोकेशन स्वीकृत!!

राजस्व के नुकसान का डर दिखाकर,अपने आला अधिकारियों का मुंह बंद करने वाले आबकारी अधिकारियों की हिमाकत इतनी बढ़ गई है कि अब उन्हे सही और गलत मे अंतर ही नजर नहीं आ रहा, तभी तो पाँच साल पहले, जिस शराब की दुकान की लोकेशन को एक स्कूल के 200 मीटर के अंदर होने की वजह से निरस्त कर दिया गया था,अब शराब ठेकेदार के दबाव के चलते उसी जगह पुनः शराब की दुकान लगाने की संबंधित आबकारी निरक्षक की अनुशंसा जिला आबकारी अधिकारी द्वारा मंजूर कर दी गई है|

आपको बता दें कि आबकारी विभाग के जयपुर शहर,वृत पश्चिम मे स्थित दुकान संख्या A-196 गुरुजमबेश्वर नगर पर लाईसेंसी राजकुमार शर्मा को अस्थायी रूप से कम्पोजिट शराब की दुकान स्वीकृत कर दी गई है,जबकि इस दुकान से मात्र 121 मीटर दूरी पर इलाके का सबसे बड़ा **नेहरू मेमोरियल सी. हायर सेकेंडरी स्कूल** का संचालन किया जा रहा है|इसी दुकान की लोकेशन पर पाँच साल पहले एक लाईसेंसी की शराब की दुकान स्वीकृत कर दी गई थी,जिसे जांच मे सही पाए जाने पर अगले वित्त वर्ष मे हटा दिया गया था|लेकिन आबकारी अधिकारियों द्वारा सब कुछ जानते-बुझते भी अब इसी जगह पर पुनः शराब की दुकान स्वीकृत कर दी गई है|

आबकारी विभाग लाईसेंसी राजकुमार शर्मा पर दिखा रहा दरियादिली!!दो महीने मे तीसरी बार लोकेशन स्वीकृत,तीनों ही बार विवादास्पद!!पहले झाड़ियों मे,फिर आवासीय कॉलोनी के मकान मे अब स्कूल के पास!!

आपको बता दें कि आबकारी विभाग की लाईसेंसी राजकुमार शर्मा के प्रति यह दरियादिली कोई नई बात नहीं है|दो महीनों मे लाईसेंसी राजकुमार शर्मा की यह तीसरी लोकेशन बदली गई है|

लाईसेंसी राजकुमार शर्मा द्वारा पहले प्लॉट संख्या 16,17,18 गुरु जमबेश्वर नगर पर शराब की दुकान लगाने के लिए आवेदन किया गया था,आपको बता दें कि जिन दुकानों 16,17,18 गुरु जमबेश्वर नगर पर इस दुकान को स्वीकृत की गई थी ,उनका कोई अस्तित्व ही नहीं था,मौके पर बरसों से आरना नर्सरी का संचालन किया जा रहा था|मामले का खुलासा होने पर आबकारी विभाग को पीछे हटना पड़ा और इस दुकान की लोकेशन निरस्त कर दी गई|

इसके बाद लाईसेंसी राजकुमार शर्मा द्वारा एक आवसीय कॉलोनी के खाली प्लॉट पर रातोंरात दुकान बनाकर लोकेशन स्वीकृत करवाई गई लेकिन स्थानीय नागरिकों के विरोध के चलते JDA द्वारा इस दुकान को लगने से पहले ही हटा दिया गया|और आबकारी विभाग को भी यहाँ से शराब की दुकान की लोकेशन निरस्त करनी पड़ी|

तीसरी बार भी लाईसेंसी राजकुमार शर्मा द्वारा एक अन्य विवादास्पद लोकेशन पर शराब की दुकान लगाने का प्रयास किया जा रहा है,जो कि इलाके की सबसे बड़ी स्कूल के 200 मीटर दायरे के भीतर स्थित है|

क्या आबकारी विभाग करेगा जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही?

देखना यह है कि यह मामला सामने आने पर जिम्मेदार अधिकारी इस विवादास्पद जगह पर पुनः शराब की दुकान की लोकेशन स्वीकृत करते है या फिर जांच करवाकर,दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करते है|

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED RUPEES

पाँच सौ रुपये

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

AA 195817

12 APR 2023

कियायानामा

मै राजकुमार शर्मा पुत्र श्री रामसहाय शर्मा निवासी 63, बागडा सदन, कालवाड रोड, गोविन्दपुरा, जयपुर, राजस्थान 302012 जिसे इस किरायेनामे में आगे चलकर प्रथम पक्ष किरायेदार शब्द से सम्बोधित किया गया है – किरायेदार

एवम

श्री श्रीमति सूरज देवी पुत्र श्री किशन कुमार दिवंगीत निवासी बी-132 महेश कालोनी जयपुर जिन्हे इस किरायेनामे मे आगे चलकर द्वितीय पक्ष मालिक शब्द से सम्बोधित किया गया है– सम्पत्ति मालिक यह कि किरायेदार ने मालिक द्वितीय पक्ष की अचल सम्पत्ति प्लाट/दुकान न B-196, ... आमेर जयपुर को भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर दुकान संख्या 04, वार्ड न 52 (G) 55 (G) के व्यवसायिक उपयोग हेतू दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक किराया राशि 16000/-/– रू. अक्षरे सोलह हजार रू0 रूपये माहवार से किराये पर लिया है।

नोट– हाथ से लिखा हुआ मान्य होगा।

यह है कि किराया राशि किरायानामा की समयावधी तक अदा करता रहेगा/रहेगी तथा किरायेदार द्वारा बिजली का खर्चा किराया राशि के अलावा अलग से वहन किया जावेगा। अतः यह किरायानामा किरायेदार ने अपनी राजी खुशी पूर्ण होश हवाश बिना किसी नशे पते के स्वस्थ चित्त के मुद्राक कीमती स्टाम्प 500/– रू. पर लिख कर समक्ष गवाहों के अपने हस्ताक्षर कर दिये है जो कि समय पर काम आवें।

राजकुमार

हस्ताक्षर किरायेदार
राजकुमार शर्मा

ATTESTED
S. C. SHEKHAWAT
NOTARY PUBLIC GOVT OF INDIA
JAIPUR RAJASTHAN
.../2026

Suraj
हस्ताक्षर मालिक

12 APR 2023

यह आलेख www.jawabdosarkar.com पोर्टल पर प्रकाशित किया गया है|पाठको की सुविधा एवं जिम्मेदार अधिकारियों/विभागो के संज्ञान मे लाने के लिए पोर्टल पर प्रकाशित आलेखो को पीडीएफ़ फोर्मेट मे प्रकाशित किया गया है|पोर्टल द्वारा किसी नियमित एवं निश्चित प्रसार संख्या वाले किसी समाचार पत्र/पत्रिका का प्रकाशन नहीं किया जाता है|